राज्य योजनांतर्गत चलायी जा रही मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम से संबंधित संक्षिप्त सूचनायें

राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा चीनी की रिकवरी में वृद्धि करना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में गन्ने की कुल 10 प्रभेदों यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, एवं Bo-153 की खेती को प्रोत्साहित करने एवं उस निमित्त गन्ना कृषकों को लाभ/अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु कुल 2878.21 लाख रू0 (अठाईस करोड़ अठहत्तर लाख इक्कीस हजार रू0) स्वीकृत है।

इस कार्यक्रम अंतर्गत चलाये जाने वाले विभिन्न ईख विकास योजना का मदवार विवरण निम्नवत् है–

(1.1) **प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम**– राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्धता हेतु प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु संबंधित गन्ना संस्थान को 2.20 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

(1.2) **आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम**– राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से क्रय किए गए प्रजनक बीज से चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिलों एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK)/कृषकों को 60,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

(1.3) **प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम**– प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को 50/– रू0 प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन राशि उन्हें ही देय होगा जिनके नाम से LIR (Last Inspection Report) निर्गत होगा। चयनित 10 प्रभेदों के उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से निबंधन कराना आवश्यक होगा। किसानों द्वारा बीज क्रय हेतु बीज का मूल्य वही होगा जो चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय हेतु निर्धारित है।

(1.4) **गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज का अनुदानित दर पर वितरण एवं बीज क्रय अनुदान**– राज्य के लिए चयनित गन्ना के 10 प्रभेदों यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209 एवं Bo-153 के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किया जाएगा। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य वर्ग के किसानों को 210/– रू0 प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 240/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है। बीज का वितरण **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर किया जाएगा। इस योजनांतर्गत छोटे/सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। एक गन्ना कृषक को **अधिकतम 2.50 एकड़** में लगाये गये गन्ने पर ही अनुदान राशि देय होगी।

(1.5) **गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से आलू की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान** – गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से आलू की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 12,000 रू0 प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। **इस योजना का लाभ किसानों/लाभार्थी को अधिकतम 01 (एक) एकड़ के लिए देय होगा।** गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती हेतु आलू का प्रमाणित बीज बिहार राज्य बीज निगम (BRBN) के माध्यम से चीनी मिलों तथा चीनी मिलों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(1.6) **गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान**– गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8,00 रू0 प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है।

(1.7) **गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान**– गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू0 प्रति हे0 के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। **इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ (01 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।**

(1.8) **जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान**– जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू0 प्रति क्वी0 (25 क्वीं0 प्रति हे0) यानि 3750 रू0 प्रति हे0 के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। **इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए देय होगा।** जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से प्राप्त जी0एस0टी0 युक्त अभिश्रव पर ही अनुदान अनुमान्य होगा।

(1.9) **बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण**– इस योजना का मुख्य उद्देश्य यथा– बीज दर में कमी, अंकुरण की क्षमता में वृद्धि, कल्ला एवं पेराई योग्य गन्नों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, खेती की लागत में कमी एवं आमदनी में वृद्धि करना है। बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण 10000 पौध प्रति एकड़ अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण के दर से राशि का प्रावधान किया गया है।

(1.10) **राज्य के बाहर के अनुशंसित गन्ना प्रभेदों का जो इस राज्य के लिए उपयुक्त है का विभिन्न Agroclimate Zone में ट्रायल/परीक्षण @ 20,000 रू0 प्रति परीक्षण (0.1 हे0)**– राज्य से बाहर के गन्ना शोध संस्थानों से अन्य प्रदेशों के लिए विकसित गन्ना प्रभेदों का इस राज्य के लिए उपयुक्त हेतु क्षेत्रीय परीक्षण/प्रत्यक्षण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। 0.1 हेक्टेयर में एक परीक्षण/प्रत्यक्षण किया जाएगा जिसपर कुल 20,000/– रू0 व्यय अनुमान्य है। इस योजनांतर्गत Co-15023 (Early), CoLK-14201 (Early), CoS-13235 (Early) एवं Co-12029 का प्रत्यक्षण ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर) के द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न Agro Climatic Zone, विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र के फार्म एवं चीनी मिल के प्रक्षेत्र में कराया जाएगा।

(1.11) **शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रू0 प्रति एकड़** – विभागीय पत्रांक–975 दिनांक–25.05.2022 के आलोक में शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रू0 प्रति एकड के दर से राशि का प्रावधान किया गया है।

(1.12) **SRI, Pusa द्वारा " Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " के कार्यान्वयन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि**– ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा गन्ना की खेती करने वाले कृषकों को खूँटी प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, अंतरवर्ती खेती एवं नवीनतम तकनीक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

(2.1) **एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला @ 15.00 लाख रू0 प्रति सेमिनार** – गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती की जानकारी के साथ उनके बौद्धिक संवर्द्धन हेतु 02 एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित किया जाना प्रावधानित है, जिसके लिए प्रति सेमिनार 15.00 लाख रू0 (पन्द्रह लाख रू0) कर्णांकित किया गया है। राज्यस्तरीय सेमिनार एकदिवसीय होगा।

(2.2) **विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण**– उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु समन्वयक पदाधिकारी होंगे। भ्रमण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/ SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल 25.00 लाख रू0 प्रावधानित है।

(2.3) **प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण (20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए 1500 रू0 प्रति किसान प्रति दिन** – 20 किसानों का दल के 7–10 दिवस के लिए गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु अधिकतम 1500 रू0 प्रति किसान प्रति दिन की दर से कुल 18.00 लाख रू0 राशि प्रावधानित है। प्रशिक्षण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा।

(2.4) **40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण** – 40 गन्ना कृषकों के लिए 14,000 रू0/प्रशिक्षण की दर से कुल 300 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं मोतीपुर के वैज्ञानिक/के0भी0के0 के वैज्ञानिक/गन्ना उद्योग के पदाधिकारियों/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा।

16/12/22

संयुक्त निदेशक, ईख विकास।

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का स्वीकृत कार्य योजना				
क्र0सं0	कार्य अवयव	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
1	**त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम–**			
1.1	राज्य में IISR, Motipur Centre/SRI, Pusa द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि @ 2.20 लाख प्रति हे0	हे0	35	77.00000
1.2	आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 60,000 रू0 प्रति हे0	हे0	350	210.00000
1.3	प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू0 प्रति क्वींटल	क्वी0	660000	330.00000
1.4	गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर क्रय अनुदान @ 210 रू0/क्वींटल (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु 240 रू0/क्वींटल)	क्वी0	660000	1419.66000
1.5	गन्ना के साथ आलू की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 12,000 रू0 प्रति एकड़	एकड़	600	72.00000
1.6	गन्ना के साथ मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड़	एकड़	4500	36.00000
1.7	गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू0 प्रति हे0 के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान	हे0	10000	250.00000
1.8	जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू0 प्रति क्वी0 (25 क्वीं0 प्रति हे0) यानि 3750 रू0 प्रति हे0	हे0	2000	75.00000
1.9	बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण (10000 पौध प्रति एकड़) @ अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण	संख्या	1500	225.00000
1.10	राज्य के बाहर के अनुशंसित गन्ना प्रभेदों का जो इस राज्य के लिए उपयुक्त है का विभिन्न Agroclimatic Zone में ट्रायल/परीक्षण @ 20,000 रू0 प्रति परीक्षण (0.1 हे0)	संख्या	20	4.00000
1.11	'शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रू0 प्रति एकड़	एकड़	8600	20.64000
1.12	SRI, Pusa द्वारा " Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " के कार्यान्वयन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि	–	–	24.46000
1.13	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा कार्यालय द्वारा गत वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न मदों की तकनीकी कारणों से कोषागार से विपत्र निकासी नहीं होने के कारण वचनबद्ध राशि	–	–	8.47000
1.14	गत वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक–06.03.2022 को बेतिया जिला में निर्धारित राज्यस्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी के विभागीय पत्रांक–465 दिनांक–04.03.2022 के द्वारा अपरिहार्य कारणवश स्थगण के फलस्वरूप आयोजन पूर्व तैयारियों पर विभिन्न मदों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	–	–	10.98000
	योग (1) –			**2763.21000**

2	**प्रशिक्षण कार्यक्रम–**			
2.1	एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला @ 15.00 लाख रू0 प्रति सेमिनार	संख्या	2	30.00000
2.2	विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण (भ्रमण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/ SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/ IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान)	–	–	25.00000
2.3	प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण (20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए 1500 रू0 प्रति किसान प्रति दिन (प्रशिक्षण स्थल–VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान)	–	–	18.00000
2.4	40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण @ 14,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण	संख्या	300	42.00000
	Total (1+2) -			**2878.21000**

(अठाईस करोड़ अठहत्तर लाख इक्कीस हजार रू0) मात्र।

16/12/22

संयुक्त निदेशक, ईख विकास।